सुभम डागा पुत्र श्री अनिल जी, जाति माहेश्वरी, निवासी– गांव मथानिया, जोधपुर। हाल निवासी– प्लॉट नंबर सी–62 धर्मनारायण जी का हत्था, पावटा जोधपुर।

अपीलाण्ट.....

ब

ना

म

01. श्रीमती रंजना सोनी पुत्री श्री रामनिवास जी डागा धर्मपत्नी श्री राज जी सोनी, जाति माहेश्वरी, निवासी– 62 धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा जोधपुर। हाल निवासी– मऊ, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
02. श्रीमती ज्योति पत्नी श्री मुरली मनोहर जी डागा, जाति माहेश्वरी, निवासी– मथानिया, जोधपुर। हाल निवासी– प्लॉट नंबर सी 62, धर्मनारायण जी का हत्था, पावटा जोधपुर।
03. आदित्य विक्रम डागा पुत्र श्री सुशील जी, जाति माहेश्वरी, निवासी– गांव मथानिया, जोधपुर। हाल प्लॉट सी– 62 धर्मनारायण जी का हत्था, पावटा जोधपुर।
04. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री रामनिवास जी डागा, जाति माहेश्वरी, निवासी– गांव मथानिया जोधपुर। हाल निवासी– 62 धर्मनारायण जी का हत्था, पावटा जोधपुर।
05. श्री रामनिवास डागा पुत्र श्री चम्पालाल जी, जाति माहेश्वरी, निवासी गांव मथानिया जोधपुर। हाल निवासी– प्लॉट नंबर सी–62 धर्मनारायण जी का हत्था, पावटा जोधपुर।
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 24 फरवरी 2015 राजस्व मूल वाद संख्या 159/2014 शुभम डागा बनाम श्रीमती रंजना डागा इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश बुब श्री भरत बूब, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 06 जून 2025

अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 159/2014 अनवान शुभम डागा बनाम श्रीमती रंजना इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 27 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 7/1 रकबा 13.15 बीघा, खसरा नंबर 7/5 रकबा 13.15 बीघा, खसरा नंबर 7/8 रकबा 27.10 बीघा, खसरा नंबर 7/3 रकबा 34.16 बीघा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी के संबंध में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02 दिसंबर 2014 को उभय पक्ष की ओर से सलंग्न नक्शे अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2015 निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर अपीलांट/वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30 मई 2024 को उभय पक्ष स्वयं एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा पर बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में राजीनामे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि के लिये अपीलाट एवं रेस्पोंडेंट सख्या 1 से 5 के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। सभी पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे विवादग्रस्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का विवाद रखना नहीं चाहते हैं। इस कारण से उन्होंने आपसी सहमति व रजामंदी से इस राजीनामें के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार राजीनामा कर दिया है जिसके अनुसार पक्षकारान में निम्न अनुसार भूमि रखी गई हैं –

01. अपीलांट शुभम डागा के हिस्से की भूमि संलग्न नक्शे में दर्शाई गई है जो कुल 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि बनती हैं।
02. रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती रजना सोनी के बट एवं हिस्से की भूमि संलग्न नक्शे में दर्शाई गई 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि दी गई हैं।
03. श्रीमती ज्योति डागा को संलग्न नक्शे में दर्शाई गई 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि दी गई हैं।
04. श्री आदित्य विक्रम डागा को संलग्न नक्शे में दर्शाई गई 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि के बंट एवं हिस्से में दी गई हैं।
05. रेस्पोंडेंट संख्या 5 श्री रामनिवास डागा को संलग्न नक्शा में दर्शाई गई 8 बीघा 1 बिस्वा एवं 7 बिस्वासी भूमि दी गई हैं।
06. रेस्पोंडेंट संख्या 4 श्रीमती पुष्पा पत्नि रामनिवास डागा को संलग्न नक्शे में दर्शाई गई 9 बीघा 21/4 बिस्वा भमि दी गई है।

सभी पक्षकारान् विवादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार हैं। सभी सह–खातेदारों ने आपसी सहमति व रजामंदी से राजीनामा कर दिया हैं एवं संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि को आपस में बांट लिया हैं, जिसके हिस्से में जो भूमि आई हुई हैं, उस भूमि को प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करेगा एवं इसी अनुसार नक्शे को तरमीम करेंगे।

अंत में उभय पक्ष ने अनुरोध किया कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे एवं उपरोक्त राजीनामें को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं माफिक राजीनामा एवं नक्शे के अनुसार भूमि के बंटवारे की डिक्री पारित फरमाई जावें एवं रेस्पोंडेंट संख्या 6 को आदेशित किया जावे कि वह माफिक राजीनामा अपीलांट एव रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 के नाम भूमि दर्ज इन्द्राज करें एवं राजीनामें अनुसार नक्शे में भूमि तरमीम करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पक्षकारान् स्वयं एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 03.05.2024 को राजीनामा पेश किया किया जो रेकर्ड पर लिया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में माफिक राजीनामा एवं उसके साथ सलंग्न नक्शे अनुसार अपीलांट शुभम डागा के हिस्से में कुल 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि, रेस्पो. संख्या एक श्रीमती रंजना सोनी के हिस्से में 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि, रेस्पोडेंट संख्या दो श्रीमती ज्योति डागा 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि, रेस्पो. संख्या तीन श्री आदित्य विक्रम डागा के हिस्से में 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि, रेस्पोडेंट संख्या पांच श्री रामनिवास डागा के हिस्से में 8 बीघा 1 बिस्वा एवं 7 बिस्वासी भूमि, रेस्पोंडेंट संख्या चार श्रीमती पुष्पा पत्नि रामनिवास डागा के हिस्से में 9 बीघा 21/4 बिस्वा भमि बंट में रखकर पक्षकारान् के खाते अलग–अलग दर्ज कर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करने का अनुरोध किया। उभय पक्ष द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईश से प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2014 को खारिज किया जाकर अपील अपीलांट राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट प्रस्तुत राजीनामा के अनुसरण में स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 फरवरी 2014 को खारिज किया जाकर माफिक **राजीनामा एवं सलंग्न नक्शे अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के हिस्से में वादग्रस्त आराजीयात रखी जाती है तथा** तहसीलदार तिवरीं को निर्देश दिये जाते है कि माफिक राजीनाम एवं सलंग्न नक्शे अनुसार पक्षकारान् के खाते अलग–अलग कर लगान निर्धारण करते हुए राजस्व रेकर्ड में पृथक–पृथक तरमीम अंकित करें। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर